

# न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) धौलपुर

धीतरसीन अधिकारी - डॉ. साधना शर्मा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 206/2012

- 1 कन्हैया पुत्र नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी जमालपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 2 शिवराम पुत्र माधोसिंह जाति कुशवाह निवासी जमालपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

बनाम

- 1 गोपाली पुत्र वाले 2 कोकसिंह पुत्र वाले 3 ठकुरी पुत्र वाले
- 3 कलवो बेवा तेजसिंह "फौत" 5 पांची पुत्र तेजसिंह 6 बलराम पुत्र तेजसिंह
- 7 माया पुत्री तेजसिंह 8 भोजराज पुत्र तेजसिंह 9 शिवसिंह पुत्र रामसिंह
- 10 बैजन्ती पत्नी रूपसिंह 11 लौहरे पुत्र रामचन्द 12 ममता बेवा कप्तान
- 13 चौबसिंह पुत्र कप्तान 14 रामचन्द पुत्र गोकुला 15 राजकुमारी पुत्री कप्तान
- 16 भगवानश्री पुत्री कप्तान सरपरस्ती माँ खुद ममता 17 सुनीता बेवा वीरी
- 18 जितेन्द्र पुत्र वीरी 19 बसन्ती बेवा जगमन "फौत" 20 मीना पुत्री जगमन
- 22 कमलेश पुत्री जगमन 22 गुलाबदेई पुत्री जगमन 23 काशनदेई पुत्री जगमन
- 24 रामवती पत्नी जगमन 25 रामवीर पुत्र जगमन 26 राजे पुत्री जगमन
- 27 निन्नो पत्नी दौजीराम 28 दाताराम पुत्र दौजीराम 29 बटोई पुत्र दौजीराम
- 30 नाहरसिंह पुत्र दौजीराम 31 विनोद पुत्र दौजीराम 32 विरमादेवी पुत्री दौजीराम
- 33 जीवनदेई पुत्री दौजीराम 34 गुड़ी पुत्री दौजीराम 35 अतरसिंह पुत्र फतेहसिंह
- 36 तोताराम पुत्र फतेहसिंह

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण गांव मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर

37 प्रकाश मोहर पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण

38 जानकी पत्नी वाले 39 लीलावती पत्नी भगवानसिंह, 40 अजमेरसिंह पुत्र भगवानसिंह

41 नरेश पुत्र भगवानसिंह 42 महेन्द्र पुत्र भगवानसिंह, 43 बहादुर पुत्र भगवानसिंह

44 किशनसिंह पुत्र भगवानसिंह, 45 भूदेवी पुत्री भगवानसिंह 46 प्रेमवती पुत्री भगवानसिंह

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर

47 शीला देवी परमाल जाति बघेला निवासी ग्राम सकतपुर तहसील व जिला धौलपुर

48 राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब धौलपुर

**दावा अन्तर्गत 88, 53, 188 आरटीएक्ट**

उपरिस्थिति - 1. श्री नेमीचंद रावत एडवोकेट—वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.06.2012

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी नम्बर 09 रकवा 3 बीघा में वादी 1/24 भाग, 189 रकवा 9 विस्वा, 08 रकवा 2 बीघा में वादी 1/24 भाग, 167 रकवा 18 विस्वा में 1/12 भाग, 191 रकवा 6 विस्वा में 1/24 भाग, 192 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा में 1/8 भाग, 193 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा में 1/24 भाग, 187 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा में 1/4 भाग, 188 रकवा 5 विस्वा में 1/24 भाग, 189 रकवा 8 विस्वा में 1/24 भाग, 166 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा में 1/12 भाग का दावा काशतकार वादी संख्या 1 है तथा आराजी खसरा नम्बर 191, 192, 193 में वादी संख्या 1/4 भाग का खातेदार काशतकार है उक्त विवादित आराजी बाकें ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काशतकार प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 26 के पूर्व पुरुष जगमन का देहांत करीब 8 वर्ष पूर्व हुआ है तथा मृतक जगमन ने अपने विधिक उत्तराधिकारी अपनी पत्नी रामवती प्रतिवादी

पुर लम्बीर प्रतिवादी संख्या 28 राजे श्री प्रतिवादी संख्या 26 को 180वां नंबर के स्थान पर पत्र पेश करते वारिस बनाने के लिए प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 26 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 23 का वारिस बना दिया। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त वारिस रहे हैं। विवादित आराजी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वादीगण के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं। वादीगण को फसल नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए वादीगण विवादित आराजी का बंटवारा कराना चाहते हैं। जगमन के रूप में दर्ज रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 23 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 26 के नाम इन्द्राज किये जाने एवं विवादित आराजी का बंटवारा किये जाने का प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 47 की ओर से श्री दीनदयाल एडवाकाट वकालतनामा पेश किया लेकिन दिनांक 23.12.2024 को जबाबदावा पेश नहीं किये। न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज संख्या प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065, प्रदर्श-2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 प्रदर्श-3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065, प्रदर्श-4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065, प्रदर्श-5, हाल जमाबंदी सम्वत् 2065-68 पेश किये हैं। मौखिक साक्ष्य में पी0 कन्हैयालाल के बयान कराये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्राथमिक आदेश 23 नियम 1 सीपीसी कथन किया कि वह अपने दावा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 तक अपना दावा विज्ञॉल करना चाहते हैं, तथा न्यायालय केवल बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए का अनुत्तपन करेगा है। सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत वादी अपने दावा के भाग को किसी भी स्तर पर वापिस ले सकता है। अतः वकील वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वकील वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 को विज्ञॉल करने की अनुमति दी जाती है। वादी अपने दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार है तथा इसी हैसियत में आराजी को होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी को आये दिन काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए वादीगण विवादित आराजी का बंटवारा कराकर अपने खाता एवं आराजी को अलग करना चाहते हैं। इसलिए आराजी का प्रारम्भिक डिक्ली किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर मनन किया गया। पत्रावली के दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 9 में प्रयागदेवी पत्नी अतरसिंह 3/16 भाग की खातेदार है। प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 191, 192, 193 में अनारदेई पुत्री वाले 1/24 भाग, कमला पुत्री वाले 1/24 भाग, भगवती पुत्री वाले 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है लेकिन उन्हें भी पक्षकार नहीं माना गया है। प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी

खसरा नम्बर 187 में फूलो पत्नी हरीसिंह 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार है लेकिन मूल काश्तकारों का दावा प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्बत् 2065 के अनुसार वाद से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 166 में सूरजभान व सरवन पुत्रगण काश्तकार हैं व देवकिशोर पुत्र सूरजभान संयुक्त रूप से 220/945 भाग, वीरीसिंह पुत्र तेजसिंह 1/96 भाग, गिरद सिंह पुत्र तेजसिंह 5/96 भाग का खातेदार काश्तकार है लेकिन मूल काश्तकारों को इन्हें पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के नियम 4 के अन्तर्गत विवादित आराजी के के विभाजन हेतु सभी खातेदार काश्तकारों को पक्षकार प्रकरण बनाया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में कई खातेदारों को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है, जिस कारण हाजा प्रकरण में कुराज (नॉन जॉइण्डर) का दोष है। इस दोष को दूर करने हेतु वकील वादीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की है और ना ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हाजा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के नियम 4 के प्रावधानों एवं नॉन जॉइण्डर का दोष से बाधित है। अतः दावा वादीगण समस्त खातेदार काश्तकारों को पक्षकार प्रकरण ना बनाये जाने के कारण नॉन जॉइण्डर (कुसंयोजन के दोष) के आधार पर खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण नॉन जॉइण्डर दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, न्याय

सहायक क्लर्क (नॉ)

धौलपुर

## डिफ़ी व मुकदमे इबादाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर  
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या : 206/2012

1. कन्हैया पुत्र नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी जमालपुर तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर
2. शिवराम पुत्र माधोसिंह जाति कुशवाह निवासी जमालपुर तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर

वादीगण

### बनाम

1. गोपाली पुत्र वाले
2. कोकसिंह पुत्र वाल
3. ठकुरी पुत्र वाले
4. कलवो बेवा तेजसिंह "फौत"
5. पांवी पुत्र तेजसिंह
6. बलराम पुत्र तेजसिंह
7. माया पुत्री तेजसिंह
8. भोजराज पुत्र तेजसिंह
9. शिवसिंह पुत्र रामसिंह
10. बैजन्ती पत्नी रूपसिंह
11. लौहरे पुत्र रामचन्द
12. ममता बेवा कप्तान
13. चौबसिंह पुत्र कप्तान
14. रामचन्द पुत्र गोकुला
15. राजकुमारी पुत्री कप्तान
16. भगवानश्री पुत्री कप्तान सरपरस्ती माँ खुद ममता
17. सुनीता बेवा वीरी
18. जितेन्द्र पुत्र वीरी
19. बसन्ती बेवा जगमन "फौत"
20. मीना पुत्री जगमन
21. कमलेश पुत्री जगमन
22. गुलाबदेई पुत्री जगमन
23. काशनदेई पुत्री जगमन
24. रामवती पत्नी जगमन
25. रामवीर पुत्र जगमन
26. राजे पुत्री जगमन
27. निन्नो पत्नी दौजीराम
28. दाताराम पुत्र दौजीराम
29. बटोई पुत्र दौजीराम
30. नाहरसिंह पुत्र दौजीराम
31. विनोद पुत्र दौजीराम
32. विरमादेवी पुत्री दौजीराम
33. जीवनदेई पुत्री दौजीराम
34. गुडी पुत्री दौजीराम
35. अतरसिंह पुत्र फतेहसिंह
36. तोताराम पुत्र फतेहसिंह

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण गांव मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर

37. प्रकाश मोहर पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण
38. जानकी पत्नी वाले
39. लीलावती पत्नी भगवानसिंह
40. अजमेरसिंह पुत्र भगवानसिंह
41. नरेश पुत्र भगवानसिंह
42. महेन्द्र पुत्र भगवानसिंह
43. बहादुर पुत्र भगवानसिंह
44. किशनसिंह पुत्र भगवानसिंह
45. भूदेवी पुत्री भगवानसिंह
46. प्रेमवती पुत्री भगवानसिंह

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर

47. शीला देवी परमाल जाति बघेला निवासी ग्राम सकतपुर तहसील व जिला धौलपुर
48. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब धौलपुर

### दावा अन्तर्गत 88, 53, 188 आरटीएफ

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) के हाजिरी श्री नेमीचंद रावत एडवोकेट मिनजानिव मुददई एवं श्री +++++ एडवोकेट मिनजानिव मुदयालह ने पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि दावा वादीगण नॉन जॉइण्डर दाप के आधारे पर खारिज किया जाता है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 30.6.2025 को जारी में आज दिनांक 30.06.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
धौलपुर